

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।

:-कार्यालय आदेश:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17-1 (ख) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 198739/XXX (2)/E-33080 कार्मिक सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या 221278 /XXX (2) 2024/E-33080 कार्मिक सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल) के अन्तर्गत जनपद स्तर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों के एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण के आधार पर उनके निजी अनुरोध पर निम्नवत तालिका के स्तम्भ -3 में वर्णित वर्तमान तैनाती के स्थान के स्तम्भ -4 में वर्णित नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री जीवन लाल	राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव (चम्पावत)	कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल)	निजी अनुरोध

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

2- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिक स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।


ह०/ _____
(डा०उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1230 /स्था०-02/वा०स्था०-च०श्रे०/2024-25

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वेतन विल सहायक मुख्यालय।
- 3- परियोजना निदेशक, राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगांव, चम्पावत।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत।
- 5- कोषाधिकारी - हल्द्वानी।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी-चम्पावत।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।


(डा०उदय शंकर)
अपर निदेशक।